दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 16 फरवरी, 1999 / माघ 27, 1920 (शक)

संख्या : 13

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई
--- 0 ---

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(।), नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 12.2.99 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यगण सर्वश्री रमेश कुमार, श्रीमती सुशीला किशन, श्री अमरीश गौतम, श्री जिले सिंह, श्रीमती अंजलि राय, श्रीमती मीरा भारद्वाज, श्री अजय माकन, श्री मुकेश शर्मा, श्री राज कुमार चौहान, श्री रामाकान्त गोस्वामी, श्री महाबल मिश्रा, श्री टेक चन्द शर्मा, श्री महेन्द्र सिंह यादव, श्री कंवल सिंह यादव, श्री माला राम गंगवाल, श्री अशोक सिंह, श्री अरविंदर सिंह लवली, श्री दीप चन्द बन्धु, श्रीमती किरण चौधरी, श्री महेन्द्र भट्टे वाला, श्री रूप चन्द एवं श्री कंवर करण सिंह को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत 13 तालकटोरा रोड के पास से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 10.2.99 को दोपहर 12.00 बजे नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन दिनांक 10.2.99 को उसी स्थान से अपराह्न 12.15 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव